रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02122021-231512
CG-DL-W-02122021-231512

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, नवम्बर 21 - नवम्बर 27, 2021, शनिवार/ कार्तिक 30- अग्रहायण 6, 1943
No. 40] NEW DELHI, NOVEMBER 21 - NOVEMBER 27, 2021, SATURDAY/ KARTIKA 30 - AGRAHAYANA 6, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सा.का.नि.144.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 और संघ लोक सेवा आयोग, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी समूह 'ग ' पद भर्ती नियम, 2016 को उन बातो के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के स्वागत और नयाचार एकक में कतिपय समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, स्वागत और नयाचार एकक, समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों के भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **प्रारंभिक गठन.—**उक्त अनुसूची के स्तम्भ (१) में विनिर्दिष्ट पदों के पदधारी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पहले उक्त पदों को नियमित आधार पर नियुक्त किये गए समझे जायेंगे और इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व नियमित और सतत सेवा के उक्त पदों से पूर्व परिवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति, पुष्टिकरण आदि के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य स्वागत और नयाचार अधिकारी	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननु सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रु)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु) में उप मुख्य स्वागत और नयाचार अधिकारी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताहों का आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त या कानूनी या अर्द्धसरकारी संगठनों के अधिकारी :- (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:** 1. माननीय अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए):** 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. अपर सचिव (सामान्य शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पर सदृश पद धारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 या समतुल्य नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 2(दो) वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी शाखा में स्नातक डिग्री; और (ii) या तो स्वागत अधिकारी या नयाचार या दोनों से संबंधित कार्य में 03(तीन) वर्ष का अनुभव रखते हो। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप मुख्य स्वागत और नयाचार अधिकारी	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननु सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु)	चयन पद	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु) से विभागीय ज्येष्ठ स्वागत और नयाचार अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 सप्ताहों का आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारे या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठन या स्वायत्त संगठन के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 5(पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (ii) या तो स्वागत या नयाचार या दोनों से संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	**समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:** (i) अपर सचिव, (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (भर्ती शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) संयुक्त सचिव (सामान्य शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ स्वागत और नयाचार अधिकारी	3* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनन्-सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) में ऐसा कनिष्ठ स्वागत और नयाचार अधिकारी जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यकतियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी**: i. अपर सचिव(प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष ii. संयुक्त सचिव(सामान्य शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य iii. संयुक्त सचिव (भर्ती शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य **विभागीय पुष्टिकरण समिति(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:** i. अपर सचिव(सामान्य शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष ii. संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य iii. संयुक्त सचिव (भर्ती शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठन के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु) या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6(छः) वर्ष की सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो :- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में स्नातक डिग्री; और (ii) या तो स्वागत या नयाचार या दोनों से संबंधित कार्य में 01(एक) वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कनिष्ठ स्वागत और नयाचार अधिकारी	05* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननु सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 - 81100 रु)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। **वांछनीयः-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पण:** परिवीक्षा सफलता पूर्वक समापन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित दो-चार सप्ताहों के दौरान प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या (ii) स्तर - 3 (21700-69100 रु) या समतुल्य पदों में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:** (i) संयुक्त सचिव, (सामान्य शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (ii) उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) उप सचिव (भर्ती शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. 39021/02/2019-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th November, 2021

G.S.R. **144**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Union Public Service Commission (Reception Officer) Recruitment Rules, 2001 and Union Public Service Commission (Junior Reception Officer) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group A, B and C posts in the Reception and Protocol Unit of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Reception and Protocol Unit, Group A, B and C posts Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution.—The incumbents of the posts specified in column (1) of the aforesaid Schedule who were appointed on regular basis to the said posts before the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and their regular and continuous service in the said posts before the said commencement shall be taken into account for the purpose of probation, seniority, promotion, confirmation, etc.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Chief Reception and Protocol Officer	1* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	13
Promotion: Deputy Chief Reception and Protocol Officer in level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with three years' regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in relevant field as prescribed by administrative ministry. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **<u>Deputation (including short-term contract)-</u>** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous or statutory or semi-Government organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 02 (two) years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs.47600-151100) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or institute and (ii) 03 (three) years' experience in work relating to either reception or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** i) Chairman/ Member , Union Public Service Commission – Chairman; ii) Secretary, Union Public Service Commission – Member; iii) Joint Secretary (I/c of Gen), Union Public Service Commission –Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** i) Secretary, Union Public Service Commission – Chairman; ii) Additional Secretary (I/c of Gen), Union Public Service Commission – Member; iii) Joint Secretary (Admn), Union Public Service Commission –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

protocol or both. **Note**: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 03 (three) years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Chief Reception and Protocol Officer	2* (2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 in the pay matrix (44900-142400)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental Senior Reception and Protocol Officer in level-6(Rs. 35400-112400 of the pay matrix) with five years' regular service in the grade and having successfully completed 2 weeks mandatory training in relevant field area as prescribed by administrative Ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering Promotion):** i. Additional Secretary (I/c of Admn), Union Public Service Commission - Chairman; ii. Joint Secretary (I/c of Recruitment), Union Public Service Commission - Member; iii. Joint Secretary (I/c of General Branch), Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

<u>Deputation (including short-term contract):</u> Officers of Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognized research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 05 (five) years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the in level-6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelors degree in any discipline from a recognised University or Institute; and (ii)Two years' experience in the work relating to either reception or protocol or both. **Note:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Senior Reception and Protocol Officer	3*(2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for the promotees	Promotion failing which by Deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
<u>Promotion:</u> Junior Reception and Protocol Officer in level-4 (Rs. 25500-81100) of the pay matrix with ten years' regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks of training in relevant field as prescribed by the administrative Ministry. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **<u>Deputation (including short-term contract):</u>** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5(Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised university or institute; and (ii) one year experience in work	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:** i. Additional Secretary (I/c of Admn Branch), Union Public Service Commission -Chairman; ii. Joint Secretary (I/c of General Branch), Union Public Service Commission –Member; iii. Joint Secretary (I/c of Recruitment Branch), Union Public Service Commission – Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:** i. Additional Secretary (I/c of Gen), Union Public Service Commission -Chairman; ii. Joint Secretary (I/c of Admn), Union Public Service Commission –Member; iii. Joint Secretary (I/c of Recruitment Branch), Union Public Service Commission – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

related to either reception or protocol or both. **Note:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.Junior Reception and Protocol Officer.	05* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -4 (Rs. 25500-81100) in pay matrix	Not applicable	Between 18 and 27 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions and orders issued by Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 12th pass or equivalent from a recognised Board or equivalent; **Desirable:** Degree from a recognised University or equivalent.	Not applicable	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of two-four weeks duration as prescribed by the administrative Ministry for successful completion of probation	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in level -3(Rs. 21700-69100) or equivalent; and (b) possessing the education

			qualification prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** i. Joint Secretary (I/c of Gen), Union Public Service Commission – Chairman; ii. Deputy Secretary (I/c of Admn), Union Public Service Commission –Member; iii. Deputy Secretary (I/c of Recruitment Branch), Union Public Service Commission –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.39021/02/2019-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (श्रेणी- III और श्रेणी- IV पद) भर्ती नियम, 1968 को जहाँ तक उसका संबंध प्रबंधक, व्यावसायिक प्रशिक्षण कर्मशाला के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में प्रबंधक, व्यावसायिक प्रशिक्षण कर्मशाला के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा संस्थान, मुम्बई,प्रबंधक, व्यावसायिक प्रशिक्षण कर्मशाला (समूह-'ग')पद (संशोधन), भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**कोई भी व्यक्ति-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।